



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, मुख्यालय-घुमेटिधार
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER,
TEMPORARY DIVISION, PUBLIC WORK DEPARTMENT,
GHANSALI, HEAD QUARTER-GHUMETIDHAR



P.O. Pilkhi, Pin Code-249181

Phone and Fax No. 01379-258327

Website- <http://pwd.uk.gov.in>

E-Mail :- eeppwdghansali@rediffmail.com

पत्रांक :- 849 / 10 Mg

दिनांक-26/08/2020

सेवा में,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी,
टिहरी गढ़वाल।

विषय :- जनपद-टिहरी गढ़वाल में कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.2375 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/14272/2015)।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड के फाईल संख्या- 8वी०/यू०सी०पी०/०६/144/2016/FC/619, दिनांक-14.07.2020

उपरोक्त विषयक के क्रम में प्रस्ताव पर वांछित सूचना की अनुपालन आख्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर सूचना पुनः तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जा रही है -

क्र० सं०	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
01.	As the case has already been close and in reply to this office letter dated 14-07-2019 State Govt submitted that during this period no. of trees has been increased from 219 to 448 but the reason of delay is still not submitted State Government is again requested to submit the reason for delay in the replay.	उक्त सूचना इस कार्यालय के पत्रांक संख्या- 1128/10एम०जी०, दिनांक-22.08.2019 द्वारा कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी गढ़वाल नई टिहरी को पूर्व में ही प्रेषित है।
02	KML file of proposed road not found upload instead KML file of CA area found upload state government may upload Kml file of the location of temple and habitations if any to be com eating from the proposed road.	मोटर मार्ग की संशोधित के०एम०एल० फाईल तैयार कर अपलोड कर दी गयी है।
03	out of 3,2375 ha forest area 3.1766 ha area proposed in reserve forest area with filling of 448 trees as per justification of the proposal it appears thate the proposed road will connect the temple only from both side of the road and no habitation is connecting of the requierement of road.	विस्तृत औचित्य पूर्ण अख्या तैयार कर दी गयी है।

04	The alterenment shown at para (ii) (a). conecting the temple only from one side seems more appropriate state government may submit jusfication in the this regord.	वैकाल्पिक समरेखण में ग्राम सभा कर्णगांव का मलकोट गाँव संयोजित नहीं हो रहा है जिस कारण उक्त समरेखण में समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा असहमति व्यक्त की गयी है।
05	as per muck disposal plan muck dumping area proposed in nap land but the details not filled at para b 2.4 in part I. which may be done now.	आरक्षित वन भूमि 3.2375 है0 एवं नाप भूमि 0.3375 है0 का एवं नाप भूमि 0.3375 है0 का component wise breakup पूर्व में ही ऑनलाइन प्रविष्टि कर दी गयी है अवगत कराना है, उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्ष 2015 का ऑनलाइन है, जिस कारण मक डम्पिंग हेतु ली गई नाप भूमि की प्रविष्टि तकनीकी कारणों से ऑनलाइन प्रस्ताव में अंकित की जानी सम्भव है।
06	as per DSS anlysis 5 ha area found I in MDF proposed in civil soyam area state government may submit plantion scheme as per guideline dated 08.11.2017	दिनांक-05.11.2017 के अनुसार आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है
7	Name of CA mentioned in CA scheme and in CA site suitability is mandra but name mentioned in other document is kepars. stste govt. may clarlyfy this discrepancy.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल केपार्स में चिन्हित है, जिसका संशोधित प्रमाण पत्र Additional Document में Upload कर दिया गया है

संलग्न — Note for justification and Line diagram


 26/12/20
 (इं० डी० सी० नोटियाल)
 अधिशासी अभियन्ता,
 अ.ख., लो. नि. वि., घनसाली,
 मुख्यालय-घुमेटीधार

पत्रांक 

तददिनांक।

- प्रतिलिपि :-
1. सहायक अभियन्ता अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली मुख्यालय-घुमेटीधार को सूचनार्थ प्रेषित।
 2. वनभूमि सहायक, अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली मुख्यालय-घुमेटीधार को सूचनार्थ प्रेषित।

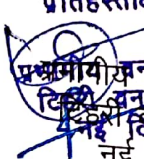

 अधिशासी अभियन्ता,
 अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली,
 मुख्यालय-घुमेटीधार

NOTE FOR JUSTIFICATION

राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णगांव से राजराजेश्वरी मन्दिर मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं०-6667/111(2)13-32 (प्रा०आ०)/2013, दिनांक-22.07.2013 द्वारा रू० 49.95 लाख की प्राप्त हुई थी। समरेखण प्रस्ताव अनुमोदन के पश्चात दिनांक-15.11.2014 को मोटर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें कि प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या-219 थी। तत्पश्चात मोटर मार्ग का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर हस्ताक्षरोपरान्त ऑनलाइन कर दिया गया था। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून के पत्रांक सं०-1003/14272/2015, दिनांक-14.10.2019 द्वारा प्रस्ताव को अपत्तियों में लौटाया गया, कि यह भी सुनिश्चित करें कि कार्यक्षेत्र उद्देश्य एवं अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के सन्दर्भ में प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/टिप्पणी उपलब्ध कराई जाए। जिसके अनुपालन में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग के पत्रांक सं०-851/12-1, दिनांक-25.10.2019 पुनः कार्यस्थल के संयुक्त निरीक्षण हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। दिनांक-04.12.2019 को पुनः कार्यस्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के 448 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिसमें कि मुख्यतः 0-10 डायमीटर के चीड़ के वृक्षों की गणना में भिन्नता पाई गयी, भिन्नता का मुख्य कारण यह है कि दोनों निर्धारित संयुक्त निरीक्षण की तिथियों के मध्य 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, जिस कारण चीड़ प्रजाति के वृक्ष प्राकृतिक रूप से चीड़ वन क्षेत्रों में उग आते हैं। इसके अतिरिक्त मार्ग के समरेखण, परियोजना में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिसको स्पष्ट करने हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना सूची से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र पुनः तैयार कर आपत्तियों के निराकरण हेतु प्रेषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव के अनुसार ही वर्णित गांव/तोक एवं मन्दिर लाभान्वित होंगे। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत मोटर मार्ग के समरेखण से सम्बन्धित ग्रामों के एफ०आर०ए० पूर्व में ही वनभूमि प्रस्ताव में ऑनलाइन किये जा चुके थे। जिनको पुनः तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।

उक्त मोटर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप सिद्धपीठ राजराजेश्वरी के साथ-साथ ग्राम सभा मलकोट (ग्राम सभा कोड-042797) मोटर मार्ग से संयोजित हो जाएगा। मोटर मार्ग के कि०मी०-05 के अंतिम बिन्दु पर ग्राम सभा कांगड़ा का एक डोबला नामे तोक है, जिस स्थान पर कुछ परिवार निवास करते हैं, उक्त तोक भी इस मोटर मार्ग के कि०मी०-05 है० मी० (8-10) में संयोजित हो जायेगा। ग्राम सभा कांगड़ा पूर्व में ही मोटर मार्ग में संयोजित है, एवं इस मोटर मार्ग के नवनिर्माण के फलस्वरूप डोबला नामे तोक से कांगड़ा तक मिसिंग लिंक निर्माण हेतु लगभग 1 कि०मी० अतिरिक्त मोटर मार्ग की आवश्यकता होगी। भविष्य में यदि उक्त 1 कि०मी० मोटर मार्ग का निर्माण कार्य होता है, तो यह मोटर मार्ग यह एक रिंग रोड की तरह कार्य करेगा। (लाइन डायग्राम संलग्न), मोटर मार्ग का निर्माण क्षेत्रीय/स्थानीय जनता को राजराजेश्वरी मन्दिर तक जाने हेतु सुविधा एवं भविष्य में एक रिंग रोड निर्माण हेतु किया जा रहा है। मोटर मार्ग निर्माण के फलस्वरूप दूर-दूर के ग्रामवासी एक स्थान से दूसरे स्थान एवं सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मन्दिर तक आसानी से आवागमन कर सकेंगे, एवं विभिन्न स्थानों के जनमानस भी मन्दिर के दर्शन का लाभ ले सकेंगे। मोटर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप ग्राम सभा कांगड़ा के विधार्थियों को इण्टर कॉलेज कैंपस तक आवागमन एवं स्थानीय वासियों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ लेने हेतु पैदल दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। इस स्थान पर अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण आरक्षित वनभूमि में मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, साथ ही मोटर मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप वन विभाग को भी आवागमन में सुविधा प्राप्त होगी।


अधिसासी अभियन्ता,
अ०ख०, लो०नि०वि०, घनसाली,
मुख्यालय-घुमेटीधार

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी

